

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

द अभिलेख संख्या-343/9-20 / 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

धनाम- श्रीमती खोना मुनी हासदा

पति पशु हासदा

लाठ हेन जोर

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- हें जोर थाना नं०-

141 खाता नं०- 42 खेसरा नं०- 750

रकबा- 27 बी. से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- के पंजी II भाग

के पृष्ठ 296 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जौचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 20.3.20 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1 भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य डॉस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध रस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

तिथि :-

स्थान :-

06/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या- 343/19-20(V)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
6.3.20	<p>वाद का प्रस्ताव- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई का प्रस्ताव।</p> <p>झारखण्ड सरकार को आदेश-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-आयम-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-118/80/2008/रा0, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-214/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का-अवलोकन करवाये एंव अनि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -</p> <p>मौजा- <u>हनुम जोग</u> कायम न0- <u>141</u> खाता संख्या- <u>42</u> प्लॉट संख्या- <u>750</u> रकब- <u>2730</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पृथी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- <u>296</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती सोना प्री हांसदा परि प्रु हांसदा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अचल निधिक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी का अवेध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना तहाम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोवस्ती के आधार पर/अवेध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसकी विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत जगह वस्ती की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवेध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में तहाम तहाम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>20.3.20</u> को उपस्थापित करें।</p>	

06/3/20
अचल अधिकारी
गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

(5)
20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

